# Dand Prikriya Sanhita (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1978

Act 33 of 1978

Keyword(s):
Bailable Offence, Charge, Cognizable Offence, Complaint, High Court, Inquiry, Investigation, Judicial Proceeding, Local Jurisdiction, Police Report, Police Station, Warrant-case

# दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1978]

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 29 अगस्त, 1977 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7 सितम्बर, 1978 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।)

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 5 अक्तूबर, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1-खण्ड (क) में दिनांक 9 अक्तूबर, 1978 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

**दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए**

## अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

**संक्षिप्त नाम और विस्तार**

1--(1) यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

**अधिनियम संख्या 2 सन् 1974 की धारा 24 का संशोधन**

2--दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 में--

(क) उपधारा (1) में, शब्द "लोक अभियोजक" के पश्चात् शब्द "और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक" बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे;

(ख) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और सदैव से बढ़ाई गयी समझी जायगी, अर्थात्--

"(7) उपधारा (5) और (6) के प्रयोजनार्थ उस अवधि को, जिसमें किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय या लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के रूप में सेवा की है, ऐसी अवधि समझा जायगा जिसमें ऐसा व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा है।"

---

उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 29 अगस्त, 1978 ई0 का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट का भाग 3--खण्ड (क) देखिए।

PRICE 10 PAISE

पी0 एस0 यू0 पी0--ए0 पी0 352 सा0 (विधा0)--11-1-79--(3439)-1978-1,834+50 (मेक0)।